

प्रेसनोट दिनांक 27-07-2019 जनपद मुरादाबाद।

1-लूट की घटनाओं में वांछित 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड के पश्चात नाजायज असलाह व चोरी के वाहन सहित गिरफ्तार, थाना कटघर:-

दिनांक 26/27-07-2019 की रात्रि में समय 11.00 बजे श्री देवेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कटघर मय हमराही पुलिस बल थाना कटघर क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान डियर पार्क से रफायतपुर गांव की तरफ जा रहे थे कि सामने से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मोटर साइकिल सवार 02 संदिग्ध युवक आते दिखे। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने हेतु संकेत दिया तो नही रुके तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गयी। पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त 1-बन्टी शर्मा पुत्र ओमकार निवासी मोहल्ला बल्देवपुरी मन्दिर के पास थाना कटघर शर्मा (मूल निवासी मोहल्ला संजय नगर थाना बारादरी जनपद बरेली) के दाहिने पैर में चोट लगने से घायल हो गया एवं एक बदमाश रचित कुमार पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति निवासी मोहल्ला गोविन्द नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद मौके से फरार हो गया, जिसको पुनः दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल, 01 आधार कार्ड, 01 हीरो होण्डा मोटर साइकिल बिना नम्बर, 10 हजार रुपये नगद व 01 स्कूटी नं0 यूपी 21 1173 बरामद किये गये है। उपरोक्त दोनों अभियुक्त थाना कटघर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 390/19 धारा 392/411 भादवि व थाना गलशहीद के मु0अ0सं0 226/19 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहे थे। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटघर पर मु0अ0सं0 486/19 धारा 307 भादवि, नाजायज असलाह बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त बन्टी शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 487/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं चोरी का वाहन बरामद होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-488/19 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व धारा 411 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।

2- दहेज प्रकरण में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मझोला:-

दिनांक 25-05-2019 को वादिनी श्रीमती नेहा पुत्री राम बहादुर निवासी मोहल्ला भदोरा थाना कटघर ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज में 01 लाख रुपये की मांग करना व मांग पूरी न होने पर वादिनी को प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0 352/19 धारा 498ए, 323, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम 04 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 27-07-2019 को उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना मझोला ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त नीलेश पुत्र सतीश निवासी धीमरी थाना मझोला को सम्भल रोड से समय 13.40 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस प्रयासरत है।

3- जान से मारने की नियत से हमला करने में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना भोजपुर:-

दिनांक 04-07-2019 को वादी श्री राजपाल जाति (वाल्मीकि) पुत्र पंत सिंह निवासी ग्राम बहेड़ी ब्रह्मनान थाना भोजपुर ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र उम्र 11 वर्ष व पुत्री उम्र 08 वर्ष के साथ गाली गलौच करना व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना एवं जान से मारने की नियत से लाठी डंडों से मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0

198/19 धारा 307/323/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(जी) एससी/एसटी एक्ट बनाम 02 नफर नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 27-07-2019 को व0उ0नि0 श्री सतराज सिंह थाना भोजपुर ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त गुलाम नबी पुत्र मोहम्मद खालिद हुसैन निवासी ग्राम बहेडी ब्रहमनान थाना भोजपुर को धारक नगला चौराहा से समय 10.20 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा। शेष 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

4- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कुन्दरकी:-

दिनांक 25-07-2019 को वादिनीनिवासी गोले का मन्दिर जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश ने अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना जिसके दौरान वादिनी का जबरदस्ती गर्भपात कराने के सम्बन्ध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कुन्दरकी में मु0अ0सं0 150/19 धारा 313, 376 भादवि बनाम ओमपाल पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 27-07-2019 को थानाध्यक्ष श्री करम सिंह पाल थाना कुन्दरकी ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त ओमपाल पुत्र बलवीर निवासी ग्राम चिड़ियाठेर थाना कुन्दरकी को मोहनपुर तिराहा से समय 12.45 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

5- नाबालिग से दुष्कर्म करने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

दिनांक 20-05-2019 को वादी श्री.....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना बिलारी ने अभियुक्त द्वारा वादी की बहन उम्र 16 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 164/19 धारा 363, 366 भादवि बनाम जीशान पुत्र उस्मान निवासी ग्राम खैरी थाना बिलारी जनपद बदायूं पंजीकृत किया गया। अपहर्ता को दिनांक 21-05-2019 को सकुशल बरामद किया गया जिसके बयान व मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त के क्रम में आज दिनांक 27-07-2019 को उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बिलारी ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त जीशान उपरोक्त को रोडवेज बस स्टैन्ड कस्बा बिलारी से समय 11.10 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

6- युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन:-

दिनांक 22-07-2019 को वादिनी श्रीमती.....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना सिविल लाइन ने अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 682/19 धारा 363, 366 भादवि बनाम रवि कश्यप पुत्र चेताराम निवासी हरथला रामलीला ग्राउन्ड मोहल्ला दर्जियान थाना सिविल लाइन पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग में अपहर्ता को दिनांक 25-07-2019 को सकुशल बरामद किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 27-07-2019 को उ0नि0 श्री बिरेन्द्र सिंह राणा थाना सिविल लाइन ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त रवि कश्यप उपरोक्त को उसके घर से समय 11.10 बजे गिरफ्तार किया।

7- चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना डिलारी:-

दिनांक 26-07-2019 को उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना डिलारी ने मय हमराही पुलिसबल रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर नाखूनका तिराहा से अभियुक्त आसिफ पुत्र अफसर निवासी ग्राम नाखूनका थाना डिलारी को एक अदद चाकू नाजायज सहित समय रात्रि 22.30 बजे गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना डिलारी पर मु0अ0सं0 172/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।